



## प्रेस नोट

थाना- धौलाना

दिनांक:- 01-11-2022

**थाना धौलाना पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 471/22 धारा 380 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से अवैध चाकू बरामद ।**

### कार्यवाही:-

हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना धौलाना पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 471/22 धारा 380 भादवि में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना धौलाना पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तारी का स्थान:- यूपीएसआईडीसी क्षेत्र ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

राशिद पुत्र निजामुद्दीन निवासी ग्राम शेखपुर खिचरा थाना धौलाना जनपद हापुड़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त नईम उर्फ बोडिल का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 069/18 धारा 398,401 भादवि थाना धौलाना जनपद हापुड़ ।
2. मु0अ0सं0 071/18 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना धौलाना जनपद हापुड़ ।
3. मु0अ0सं0 456/20 धारा 60/63 आबकारी एक्ट थाना धौलाना जनपद हापुड़ ।
4. मु0अ0सं0 555/21 धारा 380,411 भादवि थाना धौलाना जनपद हापुड़ ।
5. मु0अ0सं0 558/21 धारा 398,401 भादवि थाना धौलाना जनपद हापुड़ ।

बरामदगी का विवरण:-

एक अवैध चाकू ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री अरुण कुमार थाना धौलाना जनपद हापुड़ ।
2. है0का0 313 सुधीर कुमार थाना धौलाना जनपद हापुड़ ।
3. है0का0 590 सत्यवीर सिंह थाना धौलाना जनपद हापुड़ ।
4. का0 983 नवीन कुमार थाना धौलाना जनपद हापुड़ ।